

61/2023

खिलाफारी देवी बनाम शमचंद्र वर्मा

दिनांक	आज्ञा पत्र	
--------	------------	--

8/2/24

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आठ  
व्यायिक कार्य स्थानित रहा। पत्रावली पूर्व  
आज्ञानुसार दिनांक 28/2/24 को पेश हो

20/3/24

पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है  
इस हेतु अपीलान्त शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस  
आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जासी हो। ताकि  
अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके  
पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 6.6.24 को  
पेश हों।

साधारण नोटिस जारी

7482-94

20.5.24

6.6.24

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हदायत दी गई थी कि  
आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे  
अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश-9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज  
कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस  
पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर  
नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज  
की जाती है। निर्णय ससे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फेरल शुभार होकर सच  
को कम होकर कद तलबी तकमील दाखिल दफतर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पट्टेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर- (कैम्प कुम्भुर्)